कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 1650/भर्ती समिति/2023 **दुर्ग दिनांक 09/06/2023**

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26/06/2023 संध्या 5:00 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन), भृत्य/दफ्तरी कम फ़र्राश एवं आकस्मिकता निधि के कर्मचारी के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	तृतीय श्रेणी पद																	
1	**स्टेनोग्राफर (हिन्दी)**	11	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	2	-	-
2	**स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)**	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**सहायक ग्रेड-3**	66	3	1	1	-	5	3	1	1	4	2	2	-	25	12	2	4
	योग	**78**	**5**	**1**	**1**	**-**	**5**	**3**	**2**	**1**	**5**	**2**	**3**	**-**	**30**	**14**	**2**	**4**
	चतुर्थ श्रेणी पद																	
1	**भृत्य/दफ्तरी कम फ़र्राश**	32	1	-	1	-	2	1	1	1	3	1	-	1	9	6	1	4
	योग	**32**	**1**	**-**	**1**	**-**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**-**	**1**	**9**	**6**	**1**	**4**

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आकस्मिकता निधि कर्मचारी																		
1	**आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर)** **वाहन चालक-2 पद** **लिफटमेन - 1 पद** **स्वीपर - 3 पद** **वाटरमेन - 3 पद** **चौकीदार - 6 पद**	15	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4	3	1	2
	योग	**15**	-	**-**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**4**	**3**	**1**	**2**

महत्वपूर्ण टीप-

1- पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2- जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा।

3- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।

4- महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यार्थियों के लिए लागू है ।

5- **भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।**

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते

(1) स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद के लिये -

अ- वेतनमान:- *छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 07 (रू. 28700-91300)*

ब - शैक्षणिक योग्यता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **40** प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन व्दारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड व्दारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ लिब्रे आफिस/एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट /कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।
4. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए । (गति/ कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी ।)

(2) स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिये -

अ- वेतनमान:- *छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 07 (रू. 28700-91300)*

ब - शैक्षणिक योग्यता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **40** प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन व्दारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड व्दारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ लिब्रे आफिस/एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट /कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।
4. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए । (गति/ कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी ।)

(3) सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) **के पद के लिए-**

अ- वेतनमान:- छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 04 (रू. 19500-62000)

ब- शैक्षणिक योग्यता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम **40** प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम **45** प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ लिब्रे आफिस/एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट /कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान।
3. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए । (गति/ कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी ।)

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

(4) <u>भृत्य के पद के लिये-</u>

अ- वेतनमान:- *छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 01 (रू. 15600-49400)*

ब- शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, 12 वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

नोट:- ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रिशियन, बढई एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, यदि प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

(5) <u>आकस्मिकता निधि के पद के लिये-</u>

अ- वेतनमान:- कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित दर पर

ब- शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, 12 वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

नोट- **1.** वाहन चालक के पद हेतु अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन चलाने (LMV) का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य होगा ।

2. आवेदित पद (वाहन चालक, लिफ्टमेन, स्वीपर, वाटरमेन, चौकीदार) से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें । आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

<u>आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते</u>

(1) रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(2) (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक **01-01-2023** को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय /मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन व्दारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।**

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

आयु संबंधी प्रमाण के लिए **हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा** के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

4 (एक) (1) - यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

4 (एक) (2) - यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ - 7-25 - 93 /1 आ.प्र दिनांक 20-01-1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

4 (एक) (3) - छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4 (एक) (4) - ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणाम स्वरुप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> ***स्पष्टीकरण :-*** *छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छ: माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।*

4 (एक) (5) - ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक) (6) - महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक) (7) - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है **(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि)** वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक) (8) - स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक) (9) - विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

4 (दो) (1) - आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (दो) (2) - विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 1-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (दो) (3) - उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 6 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप (1) *बिंदु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।*

(2) *बिंदु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।*

उदाहरण - यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

(5) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

(6) अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के रूप में मान्य हो, **अनारक्षित श्रेणी** के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं। महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा।

(7) महिलाओं को नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा । लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(8) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

अध्यक्ष
भर्ती समिति

(9) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाईपेंड देय होगा।

प्रथम वर्ष -पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%

व्दितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%

तृतीय वर्ष -पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%

किंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेंड के साथ-साथ अन्य भत्ते, कार्यरत अन्य शासकीय कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के व्दारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(10) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(11) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी/सब कमेटी व्दारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार छंटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) की वेबसाइट **https://districts.ecourts.gov.in/durg** पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय, दुर्ग के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा वेबसाइट में भी दी जावेगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। **प्राप्त आवेदनपत्रों की छंटाई (Short-listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी /सब कमेटी व्दारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा ।**

(12) **यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें ।**

(13) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर या आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(14) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(15) कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(16) अभ्यर्थीयों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा गठित भर्ती कमेटी/सब कमेटी तय करेगी।

(17) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णत: भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 26/06/2023 की संध्या 5:00 बजे तक** बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से "आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो । जिसे ***कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग , (छत्तीसगढ़) पिन कोड नंबर 491001*** के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से **रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व** भेजे जा सकेंगे **अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे।** दिनांक **26/06/2023** की **संध्या 5:00 बजे** के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित **(Self Attested)** प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग की वेबसाइट **districts.ecourts.gov.in/durg** से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे ।

2- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई-स्कूल/हायर-सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3- ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा ।

4- अभ्यर्थी, आवेदनपत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा,साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

5- प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी व्दारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गयी जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

6- प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदनपत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

7- **अभ्यर्थी यदि अंग्रेजी/हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के सभी या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।**

8- **विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।**

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ ग)

<u>चयन प्रक्रिया</u>

स्टेनोग्राफर (हिंदी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड- तीन (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) **के रिक्त पदों हेतु**

1- स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड- तीन (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) के रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर दसवीं, बारहवीं एवं स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थीयों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।

2- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र **(Admit Card)** जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाइट **districts.ecourts.gov.in/durg** में अपलोड किया जाएगा । परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र **(Admit Card)** डाउनलोड कर पहचान पत्र **(ID Proof)** यथा ड्राइविंग-लाइसेंस/वोटर-आईडी/आधार-कार्ड/पैनकार्ड/स्मार्टकार्ड सहित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे तथा पृथक से सूचना नहीं भेजी जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा ।

3- **उपरोक्त उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी । कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी** और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, (छत्तीसगढ़) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्राविण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा ।

4- सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

5- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, <u>**जन्मतिथि भी समान होने पर स्नातक परीक्षा**</u> में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी । यदि स्नातक परीक्षा में भी समान अंक हो जाते हैं वैसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी ।

6- सर्वप्रथम अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबवाईट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के <u>**05 दिवस**</u> के भीतर इस कार्यालय के ई-मेल एड्रेस **durg.court@gov.in** में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

7- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को होगा।

8- **चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा ।**

9- चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

जिला चिकित्सालय दुर्ग के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य(**Fitness**) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

10- भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

11- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

12- चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13- चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

14- चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला दुर्ग के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु चयन प्रक्रियाः- कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार

01- भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद के चयन हेतु कौशल परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी ।

02- भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दूओं पर परखा जायेगा ।

03- कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र **(Admit Card)** जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाइट **districts.ecourts.gov.in/durg** में अपलोड किया जाएगा । परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र **(Admit Card)** डाउनलोड कर, पहचान पत्र **(ID Proof)** यथा ड्राइविंग-लाइसेंस/वोटर-आईडी/आधार-कार्ड/पैनकार्ड/स्मार्टकार्ड सहित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे तथा पृथक से सूचना नहीं भेजी जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा ।

04- उपरोक्त उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी । कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, (छत्तीसगढ़) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्राविण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा ।

05- सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

06- अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार के प्राप्तांक रहेगें जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी । कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी । **<u>जन्मतिथि भी समान होने पर पांचवी परीक्षा</u>** में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी । यदि पांचवी परीक्षा में भी समान अंक हो जाते हैं वैसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी ।

07- भृत्य एवं आकस्मिता निधि के रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर पांचवी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 20 गुना परीक्षार्थीयों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।

08- सर्वप्रथम अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के **<u>05 दिवस</u>** के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

09- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को होगा।

10- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा ।

11- चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय, दुर्ग के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य**(Fitness)** प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12- भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

13- **<u>भृत्य पद पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।</u>**

14- चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

15- चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

16- चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला दुर्ग के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

<u>*नियुक्ति हेतु चयन विधि*</u>

(1) स्टेनोग्राफर(हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन)

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

<u>कौशल परीक्षा</u>

1- उम्मीदवारों को **स्टेनोग्राफर(हिन्दी/अंग्रेजी)** के पद के संबंध में हिंदी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं **कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा के संबंध में गति/ कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)**

2- उम्मीदवारों को **सहायक ग्रेड-3** (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) के पद के संबंध में **कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा के संबंध में गति/ कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)**

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय **50 मिनट** की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये **1/2 अंक काटा जावेगा**, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux)/विंडोज ओ.एस.(Windows O.S.) में लिब्रे-आफिस/एम.एस.वर्ड (LibreOffice/MS Word) में Arial/Times New Roman font में ली जावेगी।

कौशल परीक्षा 250 अंक

हिंदी स्टेनोग्राफर के पद हेतु

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय **50 मिनट** की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये **1/2 अंक काटा जावेगा**, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) लिब्रे-आफिस Hindi-Vedmata/विंडोज ओ.एस.(Windows O.S.)/एम.एस.वर्ड (LibreOffice/MS Word), kruti dev में ली जावेगी।

कौशल परीक्षा 250 अंक

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

(निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) के पद

उम्मीदवारों को 250 शब्द (लगभग) का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्युटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिये **1/2** अंक काटा जावेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टेबल तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) लिब्रे-आफिस Hindi-Vedmata/विंडोज ओ.एस.(Windows O.S.)/एम.एस.वर्ड (LibreOffice/MS Word), kruti dev में ली जावेगी।

कौशल परीक्षा 250 अंक

---

(2) भृत्य पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर, अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत किया जावेगा :-

भृत्य के पद हेतु

कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार 50 अंक

भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दूओं पर परखा जायेगा।

आकस्मिकता निधि के पद हेतु

कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार 50 अंक

आकस्मिकता निधि के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दूओं पर परखा जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण टीप-

01- अभ्यर्थी, सहायक ग्रेड-3 में शामिल निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन के पद के लिए मात्र एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

02- **किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा ।**

03- जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी ।

04- कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे । उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/ निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा ।

चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

[signature] /06/2023

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी)
सहायक ग्रेड-3 हेतु

(जिस पद के लिए आवेदन करें उसे चिन्हित करें, प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (In English Capital Letters)

4. लिंग पुरुष महिला (√ अंकित करें)

5. पिता/पति का नाम

6. (अ) जन्मतिथि अंको में

जन्मतिथि शब्दों में

(ब) दिनांक **01/01/2023** को आयु

वर्ष माह दिन

7. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है? (जो लागू न हो उसे काट दें) हाँ नहीं

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी व्दारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

8. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन व्दारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है?(जो लागू न हो उसे काट दें) हाँ नहीं

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी व्दारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. सामान्य/अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग अंकित करें।

10. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है | हाँ | नहीं

(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार

12. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? | हाँ | नहीं

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी व्दारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

13. दसवीं परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत

14. बारहवीं परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत

15. स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (√ अंकित करें) | हाँ | नहीं

17. राष्ट्रीयता -

18. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)

19. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

क्रमांक	
दिनांक	

20. रोजगार कार्यालय का नाम

21. क्या अभ्यर्थी विवाहित है　　हाँ　नहीं

22. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

23. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता *(प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)*

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि. वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत

24. कार्यानुभव विवरण *(प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें)*

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष	

25. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है?　　हाँ　नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

26. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय व्दारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण　..

27. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर

28. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1. .... 2 ....

3 . ... 4...

5. .... 6...

7. .... 8...

टीप - स्वयं व्दारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे ।
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

घोषणा

मैं एतद व्दारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

आवेदन पत्र का प्रारूप
भृत्य पद हेतु/आकस्मिकता निधि के पद हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (In English Capital Letters)

4. लिंग पुरुष ☐ महिला ☐ (√ अंकित करें)

5. पिता/पति का नाम

6. (अ) जन्मतिथि अंको में

जन्मतिथि शब्दों में

(ब) दिनांक **01/01/2023** को आयु

वर्ष माह दिन

7. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है? (जो लागू न हो उसे काट दें) हाँ नहीं

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी व्दारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

8. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन व्दारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है?(जो लागू न हो उसे काट दें) हाँ नहीं

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी व्दारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. सामान्य/अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग अंकित करें।

10. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है हाँ नहीं

(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार [ ]

12. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? [हाँ] [नहीं]

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी व्दारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

13. पॉचवी का प्रतिशत [ ]

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (√ अंकित करें) [हाँ] [नहीं]

15. राष्ट्रीयता - [ ]

16. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)

17. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

क्रमांक	
दिनांक	[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

18. रोजगार कार्यालय का नाम

19. क्या अभ्यर्थी विवाहित है [हाँ] [नहीं]

20. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

21. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता *(प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)*

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि. वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत

22. कार्यानुभव विवरण *(प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें)*

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष	

23. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है? हाँ नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

24. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय व्दारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण ....

25. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर

26. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1. .... 2 ....
3 . ... 4...
5. .... 6...
7. .... 8...

टीप - स्वयं व्दारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे ।
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

घोषणा

मैं एतद व्दारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

[Phone No. 0788-2210307 Email durg.court@gov.in , website districts.ecourts.gov.in/durg]

//शुद्धि पत्रक //

क्रमांक / 1860/भर्ती समिति /2023 दुर्ग, दिनांक 13/06/2023

इस स्थापना के अन्तर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन), भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश एवं आकस्मिकता निधि के कर्मचारी के पदों पर अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र विज्ञापन क्रमांक 1850/भर्ती समिति/ 2023 दुर्ग, दिनांक 09/06/2023 के माध्यम से आमंत्रित किया गया है जिसके नियुक्ति हेतु चयन विधि शीर्ष के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु आयोजित कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु सॉफ्टवेयर उबंटू लिनिक्स/विंडोज ओ.एस. उल्लेखित किया गया है, परंतु परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के कारण कौशल परीक्षा लिये जाने के लिए निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है ।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु

कौशलपरीक्षा- विंडोज ओ.एस.(Windows O.S.) में एम.एस.वर्ड (MS Word) में Times New Roman font में ली जावेगी।

हिंदी स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

कौशल परीक्षा- विंडोज ओ.एस.(Windows O.S.) एम.एस.वर्ड (MS Word), Kruti Dev 010 में ली जावेगी।

नोट- विज्ञापन की शेष शर्ते पूर्ववत् होगी ।

(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा अनुमोदित)

13/6/23

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)